राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 37/06–07

विषयः– श्री परशुराम राम सिंह, चौगाई भवन, तिलक नगर, कतिरा, आरा का प्राप्त आवेदन–पत्र ।

09.11.2006 आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए रजिस्ट्रार, वीरकुअँर सिंह विश्वविद्यालय को भेजा जाए एवं उन्हें निर्देश दिया जाए कि मंतव्य दिनांक–30.11.06 तक भेजे तथा दिनांक–04.12.06 को सुनवाई रखते हुए आवेदक को भी सूचित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.12.2006 रजिस्ट्रार, वीर कुअँर सिंह विश्वविद्यालय, आरा से मंतव्य नहीं प्राप्त हुआ है। अतएव उन्हें नोटिस दिया जाय कि मंतव्य के साथ अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 04.01.07 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोग के समक्ष उपस्थित हों एवं कारण बतावें कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 20 के तहत क्यों नहीं कार्रवाई की जाय। आवेदक को भी सूचित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.01.2007 आवेदक उपस्थित थे एवं वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। कुलसचिव द्वारा आंशिक सूचना आवेदक को भी दी गयी है। कुलसचिव द्वारा आश्वस्त किया गया कि पूरी सूचना अगले सोमवार के शाम तक आवेदक को उपलब्ध करा दी जायगी।

उपरोक्त कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त